मोहम्मद शफा-खान और अन्य

बनाम

दिल्ली और अन्य का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।

अगस्त 2, 2007

[डॉ . अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, जे. जे.]

न्यायालय की अवमानना - रिसीवर की नियुक्ति और कम्पनी की संपत्तियों की कुर्की के लिए ऋणदाताओं द्वारा आवेदन - अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपत्तियों की कुर्की का आदेश - आदेश का उल्लंघन - उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान ऋणगृहिताओं का ऋणदाताओं की मांग को पूरा करने के लिए संपित्तयों का निपटान करने का इच्छुक होना - इसीलिए, न्यायालय ने ऋणदाताओं के बकाया को पूरा करने तथा अवमानना के बिंदु पर जाए बिना देनदारियों का निर्वहन करने के लिए तौर-तरीकों को निर्धारित करने का निर्देश दे।

कई व्यक्तियों द्वारा एक कम्पनी की शुरू की गई विभिन्न सावधि जमा तथा बचत योजनाओं की सदस्यता ली गई। परिपक्वता की तारीख को जारी किए गए प्रमाण पत्रों की पालना में भुगतान नहीं किया गया। अपीलार्थी - अपीलार्थियों - निवेशकों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की।

उन्होंने रिसीवर की नियुक्ति और संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन दायर किया। आवेदन स्वीकार किया गया। मजिस्ट्रेट ने संपत्तियों की कुर्की का निर्देश देते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की। हालांकि, कुर्की के आदेशों का उल्लंघन किया गया अपीलार्थियों ने पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। तदोपरांत अपीलार्थियों ने आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। अत: वर्तमान अपील पेश की गई।

अपील का निस्तारण करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारण :- अपीलार्थियों द्वारा अभिकथन किए गए कि पारित विभिन्न आदेशों का उल्लंघन करने के बाद, गैर-आधिकारिक विपक्षियों में से एक अब ऋणदाताओं की मांगों को पूरा करने तथा देनदारियों को समाप्त करने के लिए संपत्त्यों का निपटान करने को तैयार हैं। अंतत:, ऋणदाताओं को उनका पैसा वापिस करना पड़ता है। अवमानना से संबंधित मामलों में प्रवेश किए बिना, संबंधित न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह उक्त विवरण तथा तौर-तरीकों पर कार्य करे कि संपत्त्यों का बेचान उच्चतम मूल्य पर किस प्रकार किया जा सकता है ताकि ऋणदाताओं के बकाया तथा देनदारियों का भुगतान किया जा सके।

दिल्ली उच्च न्यायालय के आपराधिक विविध प्रकरण संख्या

99/2003 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.03.2004 से।

एस.के. भट्टाचार्य, अपीलार्थियों की ओर से।

विकास शर्मा डी.एस. महारा, अनिल कटियार, संध्या गोस्वामी, डॉ. नतीस ए. सिद्धकी, शिवकुमार सूरी, बलराज दीवान, विपक्षियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरीजीत पसायत, जे पारित किया गया,

1. छूट प्रदान की गई।

2. इस अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के अपीलार्थियों द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दी गई।

3. उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त याचिका में एक विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय के अपीलार्थियों द्वारा दायर अप्रार्थी पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी।

4. संक्षेप में व्यथा इस प्रकार थी कि भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत निगमित एक मेसर्स हबीब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आम जनता को विभिन्न सावधि जमा तथा बचत योजनाओं सदस्यता लेने हेतु

आमंत्रित किया। चूंकि उक्त योजनाएं बेहद आकर्षक थीं, जिससे कई निर्दोष व्यक्तियों ने उक्त योजनाओं की सदस्यता ले ली। अभिदाताओं से धन एकत्रित करने के लिए कमीशन के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों को एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। कई लोग जिन्हें पैसा प्राप्त होना था, ने धोखाधडी की शिकायत करते हुए कहा कि परिपक्वता की तारीख पर जारी किए गए प्रमाण पत्रों के अनुसार भुगतान नहीं किया गया। पुलिस स्टेशन, लाहोरी गेट, दिल्ली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रारंभ में मेसर्स हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज के संबंध में रिसीवर की नियुक्ति तथा संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश हेतु आवेदन दायर किया गया। पांच संपत्तियों को कुर्क किया गया। विद्वत महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्तियों की कुर्की का निर्देश देते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई। व्यथा यह थी कि उक्त कुर्की के आदेश के होते हुए भी संपत्तियों का निपटान उक्त कुर्की के आदेश के विपरीत किया गया।

5. विद्वान अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थियों के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उन्हें पुनरीक्षण याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा एकल पंक्ति आदेश से उक्त न्यायालय के समक्ष दायर याचिका को खारिज कर दिया गया।

6. अपील की सुनवाई के दौरान गैर अधिकारिक विपक्षियों द्वारा यह अभिकथित किया गया कि वे ऋणदाताओं की मांगों को पूरा करने हेतु संपत्तियों का निपटान करने के लिए तैयार है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पारित विभिन्न आदेशों का उल्लंघन करने के पश्चात्, गैर अधिकारिक विपक्षियों में से एक अब ऋणदाताओं की मांगों को पूरा करने तथा देनदारियों को समाप्त करने के लिए संपत्तियों का निपटान करने को तैयार है। अंतत:, ऋणदाताओं को उनका पैसा वापिस करना पड़ता है। अवमानना से संबंधित मामलों में प्रवेश किए बिना, संबंधित न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह उक्त विवरण तथा तौर-तरीकों पर कार्य करे कि संपत्त्यिों का बेचान उच्चतम मूल्य पर किस प्रकार किया जा सकता है ताकि ऋणदाताओं के बकाया तथा देनदारियों का भुगतान किया जा सके।

7. तद्नुसार, हमारे द्वारा अपील का निस्तारण कर संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना जाकर ऐसे विवरण और तौर तरीकों को निर्धारित किया जावे जिससे ऋणदाताओं तथा विभिन्न व्यक्तियों को देय राशि तथा देनदारियों का भुगतान किया जा सके।

8. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

अपील निस्तारित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संयोगिता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।